# न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

**राजसात वाद संख्या–33/2023**

**राज्य**

**बनाम्**

**अनुज गंझू वगैरह**

## —: आदेश :—

27/05/24

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 37 / एम0 दिनांक 11.01.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–230 / 2022 दिनांक–11.12.2022 से संबंधित है।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि वादी धर्मनाथ सिंह पिता–स्व0 सुदामा सिंह, ग्राम–पो0–मन्झरियां, थाना+जिला–बक्सर, बिहार वर्तमान में मगध कोल परियोजना प्रमुख सुरक्षा प्रहरी के लिखित आवेदन के आधार पर 1. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH19D-8230, चेसीस नं0– MBLJAW176NGH03653, 2. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH01EH-2487, चेसीस नं0– ME4JC832DMD047452 एवं 3. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH01EB-0388, चेसीस नं0– ME4JC881KLG034596 के मालिक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला चोरी कर परिवहन करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। काण्ड में जप्त तीनों मोटरसाईकल को उसपर लदे कोयला सहित अमरवाडीह पुलिस पिकेट में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त काण्ड में जप्त तीनों मोटरसाईकल के मालिक का नाम पता सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार से कराया गया। तत्पश्चात काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH19D-8230, चेसीस नं0–MBLJAW176NGH03653 के मालिक श्री अनुज गंझू, पिता–कलेशर गंझू,

सा0—डुमरा, पो0—डारहा, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार, 2. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EH-2487, चेसीस नं0—ME4JC832DMD047452 के मालिक श्री सुर्यदेव उरांव, पिता—रामवृक्ष उरांव, ग्राम—हिसरी, पो0—फुलसू, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार एवं 3. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EB-0388, चेसीस नं0—ME4JC881KLG034596 के मालिक श्री कुलदीप उरांव, पिता—रामदेव उरांव, ग्राम—हिसरी, पो0—फुलसू, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार है। काण्ड में जप्त तीनों मोटरसाईकल वाहन को कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन/चोरी कर परिवहन के आरोप में राजसात की कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया।

विपक्षीगण को उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु विभिन्न तिथियों को नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया तथा समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। विपक्षीगण के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर तीनों मोटरसाईकल में लदे कोयला से संबंधित कोई वैध चालना/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत जप्त 1. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH19D-8230, चेसीस नं0— MBLJAW176NGH03653, 2. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EH-2487, चेसीस नं0— ME4JC832DMD047452 एवं 3. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EB-0388, चेसीस नं0—ME4JC881KLG034596 में लदे कोयला का वैध कागजात/चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि 1. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH19D-8230, 2. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EH-2487 एवं 3. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH01EB-0388 के द्वारा अवैध कोयला का परिवहन किया गया है। अतः 1. मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH19D-

8230, 2. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH01EH-2487 एवं 3. मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH01EB-0388 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

23/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

23/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 16:29:45 +05:30
Location: 10.93.47.5